न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/64

1. दुर्गालाल आत्मज नन्दा जी जाति माली उम्र 50 वर्ष ।
2. कन्हैयालाल आत्मज नन्दा जी जाति माली उम्र 43 वर्ष ।
3. जगदीश आत्मज नन्दा जी जाति माली उम्र 40 वर्ष ।
4. श्रीमती कैलाशी बाई पुत्री नन्दा जी जाति माली उम्र 56 वर्ष ।
5. श्रीमती मंजू पुत्री नन्दा जी जाति माली उम्र 53 वर्ष ।
6. श्रीमती राधा बाई पुत्री नन्दा जी जाति माली उम्र 47 वर्ष निवासीगण ग्राम मोडक गॉव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

श्रीमती पार्वती बाई पुत्री चम्पा जाति माली निवासी ग्राम मोडक गॉव तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चौसला तहसील रामगंजमण्डी में कुल किता 05 में रकबा 2.17 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/12 हिससा एवं अप्रार्थी कम 01 का 1/2 हिस्सा स्थित है । इसके

अलावा ग्राम मोडक में कुल किता 06 की रकबा 1.69 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का हिस्सा 1/48 दर्ज है तथा अप्रार्थी का हिस्सा 1/8, प्रभूलाल का हिस्सा 1/8, प्रेमचन्द का 1/16, श्रीमती कमली बाई का 1/32, श्रीमती गंगाबाई का 1/32, मदनलाल का 1/16, रामप्रसाद का 1/16, मोहन लाल का 1/16, श्रीमती मोहन बाई का 1/96, कमलेश कुमार का 1/96, चेनराम का 1/86, मुकेश का 1/96, राकेश का 1/96 हिस्सा, भैरू का 1/4 हिस्सा दर्ज है । सहखातेदार गोविन्द आत्मज पॉचू जिसका हिस्सा 1/96 रहा है की मृत्यु अविवाहित हो चुकी है उसका हिस्सा पांचू के अन्य वारिसान को प्राप्त होगा । खाता संख्या 311/295 वाके ग्राम मोडकगॉव की आराजियात पर भी सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजियात पर जिसमें पूर्व में कच्च कुआ स्थित था उक्त कुए की पिछले 15 वर्षो में 03 बार मम्मरत करवायी उसको चारों ओर से पक्का करवाया जिसमें प्रार्थी की काफी रकम खर्च हो चुकी है । अप्रार्थी द्वारा गॉव में यह शौहरत फैला रखी है कि वह दोनों खातों की आराजियात को बिना विभाजन करवाये बेचान कर देगा और सारी भूमि पर कब्जा कर लेगा । यदि अप्रार्थी उक्त दोनों संयुक्त खातों की आराजियात को बिना विभाजन करवाये बेचान करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी दौराने वाद ग्राम चौंसला के माल में स्थित खाता संख्या 101/110 में वर्णित आराजियात एवं ग्राम मोडकगॉव में स्थित खाता संख्या 311/295 में वर्णित आराजियात के किसी भी हिस्से को बिना विभाजन के किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें और प्रार्थीगण को पूर्ववत् वादग्रस्त आराजियात पर शान्तिपूर्वक काश्त करते रहने दें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों का सशपथ खण्डन नहीं किया है । इसके बावजूद परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रयोजन भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण से बेचाना है । जब सहखातेदारान के मध्य वाद लम्बित हो तथा भूमि के खुर्द–बुर्द हस्तान्तरित किये जाने का डर हो तो भूमि को हस्तान्तरित नहीं किये जाने बाबत् सहखातेदारान के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ हैं । प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में काफी रकम विनियोजित कर आराजी में स्थित कच्चे कुए को मरम्मत कर पक्का व गहरा करवाया है तथा विद्युत कनेक्शन जो कटा हुआ था उसे स्वयं के खर्चे पर बहाल करवाया है तथा सुरक्षा की दृष्टि से कच्ची बाउण्ड्रीबॉल करवायी हुई है । प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अपनी मेड के सहारे–सहारे भिन्न–भिन्न प्रजाति के लगभग 80 पेट लगाये हुए हैं । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि का विभाजन करवाये बिना अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे की भूमि को बेचान कर अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने पर तथा उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों का सशपथ खण्डन नहीं किया है । इसके बावजूद परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम चौंसला की आराजी कुल किता 05 की रकबा 2.17 हैक्टर भूमि कन्हैयालाल, कैलाश बाई, जगदीश, दुर्गालाल, पार्वती, मंजू बाई व राधा बाई के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2074 संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मोडकगॉव की कुल 06 किता की रकबा 1.69 हैक्टर आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है ।

9. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त रूप से सहखातेदारी की भूमि हैं । संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार के हक, अधिकार स्वत्व निहित होते हैं । सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा व अधिकार माना जाता है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर नहीं ।

10. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं के निष्कर्ष से हम सहमत हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में तय होना नहीं पाया जाता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत तथा स्पष्ट (Speaking) है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा